/

# बिहार सरकार
## खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

## कार्यालय आदेश

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना द्वारा आयोजित प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–110/2010) के परीक्षाफल में एम0जे0सी0 संख्या–1358/2017 (एल0पी0ए0 संख्या–70/2016 उद्भूत) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक– 06.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक–934/आ0, दिनांक– 23.03.2018 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त दिव्यांगों की संशोधित अनुशंसा सूची के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 153/पटना, दिनांक– 16.04.2018 एवं पत्र सं0–7549(अनु0) दिनांक 08.06.2018 के आलोक में आपूर्ति निरीक्षक पद के लिए अनुशंसित निम्नांकित अभ्यार्थियों को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत परीक्ष्यमान आपूर्ति निरीक्षक के पद पर पूर्णतः औपबंधिक रूप से वेतनमान (पी0बी02) रू0 9300–34800 + ग्रेड पे0– रू0 4200=00 (सातवें वेतन आयोग के लेबल–7) एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ नियुक्त किया जाता है:–

| क्र0 | नाम | अनुक्रमांक | संशोधित मेधा क्रमांक | आरक्षण कोटि | D.O श्रेणी | SSC द्वारा पूर्व में अनुशंसित पद | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | श्री शैलेश कुमार | 11530017 | 4015 | सामान्य | ORTH | आपूर्ति निरीक्षक | |
| 2. | श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह | 14330324 | 4763 | सामान्य | EYE | बाल संरक्षण पदा0 एवं आपूर्ति निरीक्षक | |
| 3. | श्री उदय कुमार शानू | 12230227 | 6370 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | ORTH | उद्योग विस्तार पदा0 एवं सचिवालय सहायक | |
| 4. | श्री अजीत कुमार | 10430182 | 14964 | पिछड़ा वर्ग | EYE | प्रखंड पंचायत राज पदा0/ बिहार पंचायत सेवक | |
| 5. | श्री रंजन कुमार (सूची क्र0–19) | 11230045 | 4023 | पिछड़ा वर्ग | ORTH | आपूर्ति निरीक्षक | |
| 6. | श्री राजेश कुमार सिंह (सूची क्र0–101) | 10830558 | 14445 | सामान्य | EYE | अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड | |
| 7. | श्री मार्कण्डेय प्रसाद सिंह (सूची क्र0–39) | 10730501 | 6342 | पिछड़ा वर्ग | ORTH | आपूर्ति निरीक्षक एवं सचिवालय सहायक | |

2. बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–1991 (बिहार अधिनियम–3, 1992) की धारा–4(3) के आलोक में सफल अभ्यार्थियों के बीच सेवा/पद आवंटन संबंधी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अंतिम अनुशंसा के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी ।

इस आशय का वचनबंध (Under-taking) लिखित रूप में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा ।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्र अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी ।

4. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0– 1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

5. प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर विभिन्न वादों में न्याय निर्णय के फलाफल से उक्त नियुक्ति प्रभावित होगी ।

6. अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने–जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

7. जिन अभ्यर्थियों का चरित्र एवं पूर्व वृत सत्यपन अप्राप्त है, उनके संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी ।

8. नये अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि इनका मूल आवेदन पत्र, शैक्षणिक जाति, आवसीय, स्वास्थ्य आदि प्रमाण–पत्रों एवं अन्य अभिलेखों तथा पुलिस भेरिफिकेशन के सत्यापन में किसी प्रकार की त्रुटि/अनियमितता पाये जाने पर इनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी ।

9. अनुशंसित अभ्यर्थियों की औपबंधिक नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय आदेश ज्ञापांक–153/पटना, दिनांक– 16.04.2018 में अंकित विभिन्न शर्तो के अधीन होगा ।

10. सभी उम्मीदवार दहेज न लेने–देने संबंधी घोषणा–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

ह0/–
(प्रतिभा सिन्हा)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–प्र03 नियु0–01/2013 खाद्य, पटना/दिनांक–
प्रतिलिपि– नवनियुक्त आपूर्ति निरीक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–प्र03 नियु0–01/2013 खाद्य, पटना/दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–प्र03 नियु0–01/2013 2902 खाद्य, पटना/दिनांक– 18.06.18
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव कोषांग/आई0टी0 मैनेजन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विशेष कार्य पदाधिकारी

D:\Year-2014-15 Sec-03 File\Caryala Addash-Letter-3 2018 doc